बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने फतेहाबाद और रायबरेली से मुक्त कराए 57 बाल एवं बंधुआ मजदूर

जनज्वार। बुंदेलखण्ड में कई वर्षों से भयंकर सूखे और अकाल के कारण हजारों दलित और आदिवासी परिवार अपने घरों में ताला लगा रोजी-रोटी के लिए पलायन कर चुके हैं। मानव तस्करों की गिद्ध दृष्टि इन भूख से तड़पते परिवारों को तलाशती रहती है और कई राज्यों में ईंट-भट्ठों से लेकर मुर्गी फार्म, कृषि फार्म, खेतिहर कार्य, भवन निर्माण के कार्यों में बंधुआ मजदूर बनाकर रख देती है। निरंतर बढ़ती जा रही बंधुआ मजदूरी केन्द्र एवं प्रदेश सरकारों के गरीब विरोधी उदासीन वातावरण के कारण है।

यही हाल उत्तर प्रदेश का भी, जहां सरकार गरीबों के प्रति उदासीन बनी रहती है। शासन-प्रशासन की लापरवाही का ही नतीजा है कि रोजगार के अभाव में बहुत मामूली मजदूरी पर इन्हें प्रवासी बनकर अन्य राज्यों में पलायन होने को मजबूर होना पड़ रहा है। राज्य सरकार इन मजदूर नागरिकों की सुख-सुविधा का कोई खयाल नहीं रखती, जिस कारण यहां के हजारों दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ी जातियों के लोग अन्य प्रदेशों में अपने बीबी—बच्चों के साथ पलायन को मजबूर हैं।

16 मार्च, 2019 को उत्तर प्रदेश बंधुआ मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दलसिंगार के समक्ष ईंट-भट्ठा में कार्यरत मज़दूरों के परिवार वालों ने लिखित शिकायत दर्ज कराई कि पिछले कई महीने से जिला फतेहाबाद के ग्राम नेहला, जेबीटी ईंट-भट्ठा में चित्रकूट, बांदा उत्तरप्रदेश के 47 बाल एवं बंधुआ मजदूरों से जबरिया ईंट पथाई का कार्य कराया जा रहा है।

जब मजदूरों ने जबरदस्ती काम करने से मना किया तो ईंट भट्ठा मालिक नितेश ने एक मजदूर के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसके कारण मजदूर के दोनों पैर ट्रैक्टर के नीचे आकर फ्रैक्चर हो गए। मजदूर के दोनों पैर फ्रैक्चर करने के बाद भट्टा मालिक ने धमकी दी कि किसी को नहीं बताना कि तुम्हारा पैर ट्रैक्टर से फ्रैक्चर हुआ है। अगर किसी को बताओगे तो उल्टा तुम सभी को फंसा दूंगा, जिसके कारण सभी मजदूर भयभीत हो गये। शिकायतकर्ताओं ने बंधुआ मुक्ति मोर्चा से आग्रह किया कि किसी तरह हमारे सभी बच्चों को वहां से बचा लीजिये।

शिकायत के बाद बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने 16 मार्च को दिन में लगभग 1 बजे जिला उपायुक्त फतेहाबाद को पत्र लिखकर बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976, इंटर स्टेट माईग्रेट वर्क्समैन एक्ट, 1979 एवं किशोर न्याय अधिनियम 2002-2006, अनुसूचित जाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के संदर्भ कानूनी कार्यवाही करने के लिए ईमेल कर उपायुक्त फतेहाबाद, हरियाणा से फोन पर बातचीत कर तत्काल कार्यवाही करने की मांग की।

शिकायत मिलने के तुरन्त बाद हरियाणा के फतेहाबाद उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने फतेहाबाद एसडीएम सुरजीत सिंह नैन व अन्य सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिया, जिसके बाद नेहला गांव के जेबीटी ईंट-भट्ठा से 47 बाल एवं बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया। उस दिन काफी रात होने की वजह से सभी मजदूरों को फतेहाबाद में रुकने की व्यवस्था कराई और अगले दिन 17 मार्च को बिना मुक्ति प्रमाण पत्र दिये सभी मजदूरों को जबरन ठेला गाड़ी में बैठाकर बांदा चित्रकूट के लिए भेज दिया। सभी बंधुआ मजदूर आज 18 मार्च, 2019 को चित्रकूट और बांदा में लगभग 2 बजे अपने घर पहुंचे हैं।

इस संदर्भ में बंधुआ मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने मजदूरों को मुक्ति पत्र देने के विषय में अधिकारियों से फोन पर बात की तो एसडीएम फतेहाबाद ने कहा कि जब ऊपर से आदेश आयेगा, तभी मुक्ति प्रमाण पत्र दिया जायेगा। अब सवाल यह कि क्या उक्त अधिकारियों को पता नहीं है कि बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 क्या है? अगर पता है तो मुक्ति प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया गया? अगर नहीं पता है तो क्यों नहीं?

अधिकारियों की लापरवाही के कारण हजारों हजार गरीब दलित आदिवासियों का शोषण होता है। इसके जिम्मेवार केन्द्र और राज्य में बैठी सत्तारूढ़ पार्टियां हैं।

हरियाणा के फतेहाबाद से मुक्त कराए गए 47 मजदूरों में चित्रकूट के ग्राम बगलई के राजाराम, शोभा, सुधा, मुन्नीलाल, राजाबाई, हरिश्चंद्र, रत्ती, कमला, मनीषा, मनोज, पूनम, नरेश, प्रेमलता, नरेन्द्र, फूलचंद्र, आशा, रिंकी, पिंकी, प्रिती, आशू, ग्राम भैंसौंधा के रामरहीम, हीरामनी, पूनम, चुनकावन, श्रवण, रामनारायण, चुनकी, विकाश, अवधेश, संतोशिया, अजय, मनधीर, राजू, गीता, पवन, शालनी, मोनका और बांदा जिला के ग्राम पचोखर के सुमेर, राजेश, चंदा, राधा, रूची, संजय, राकेश, सुमन, कंचन, धर्मेंद्र समेत कुछ अन्य लोग शामिल हैं।

वहीं रायबरेली की लालगंज तहसील के गांव चुमतहर के आरजीएफ ईंट-भट्टे पर बांदा जिले के 10 बाल एवं बंधुआ मजदूरों से भी जबरन ईंट पथाई का कार्य कराया जा रहा था। 16 जनवरी, 2019 को बंधुआ मुक्ति मोर्चा के पास इसकी शिकायत आई। इस शिकायत की जांच करने पर सामने आया कि ईंट भट्टे पर एक मजदूर की तबीयत खराब हुई और समय पर मालिक द्वारा इलाज कराने के लिए पैसे नहीं दिये गये, जिसके कारण मजदूर की तबीयत खराब होने के बाद मौत हो गई। मजदूरों को भी न मुक्ति प्रमाण पत्र मिला और न मृतक के परिजनों को मुआवजा।

सुधी पाठकों से अपील

31 वर्षों से 'मज़दूर मोर्चा' वैकल्पिक मीडिया के तौर पर अपने सुधी पाठकों को वह समाचार, विचार एवं जन उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता आ रहा है जिसे अन्य मीडिया छिपाने का प्रयास करता है। सुधी पाठक इतना तो समझ ही गये होंगे कि यह छोटा सा अखबार किसी भी राजनीतिक अथवा व्यवसायिक धड़े से जुड़ा नहीं है। जनहित में जो भी प्रकाशित करने लायक सामग्री हो पाती है उसे लोग़ों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।

बिना विज्ञापनों के, केवल पाठकों के सहयोग से चलने वाला यह छोटा सा अखबार आपको और अधिक बेहतर व निरंतर सेवा देता रहे इसके लिये आप से निवेदन है कि इसमें अपना आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। 'मज़दूर मोर्चा' नियमित रूप से खरीदकर पढ़ने वाले पाठक तो अपना योगदान दे ही रहे हैं, इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अखबार पढ़ने वाले पाठकों से विशेष अनुरोध है कि वे भी इसमें अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें। वार्षिक सहयोग के तौर पर 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये की धनराशि सामर्थ्य अनुसार 'मज़दूर मोर्चा' के निम्नलिखित खाते में डाले जा सकते हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में

खाता संख्या : 451102010004150

IFSC CODE : UBIN0545112

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. **आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5**
2. **प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड**
3. **रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन**
4. **एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे**
5. **राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने**
6. **हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास**
7. **जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207**

गतांक की चीर-फ़ाड़

देश की सरकारी कंपनियां व सार्वजनिक उपक्रम बंद होने के कगार पर

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

'मज़दूर मोर्चा' के 17-23 मार्च 2019 के अंक में राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकारें सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश करने और निजी उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने का अभियान चलाया जाता रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन (एनडीए) सरकार के कार्यकाल में भी सरकारी कंपनियों में विनिवेश की आंधी चली थी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के विनिवेश का उल्लेखनीय उदाहरण है, जिसे उस समय वेदांता ग्रुप को मात्र 600 करोड़ रुपये में बेचा गया था। उस कंपनी को अपने हाथ में लेने के बाद वेदांता ने वहां पड़े जिंक के कबाड़ को बेचकर 1200 करोड़ रुपये कमाए थे। इस प्रकार भाजपा की वाजपेयी सरकार ने निजी क्षेत्र की कंपनी को फ़ायदा पहुंचाकर देश के खजाने को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भाजपा नीत एनडीए सरकार ने इस विनिवेश अभियान को तीव्र गति प्रदान कर दी।

मोदी सरकार सार्वजनिक उपक्रमों जैसे हिंदुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), भारत संचार निगम लिमिटेड(बीएसएनएल), तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी)आदि में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने और उन्हें उबारने की बजाए उनमें विनिवेश करके उनको बर्बाद करने पर तुली हुई है। 'मोदी की विदेश यात्रा पर 7266 करोड़ खर्च, बीएसएनएल के 1.76 लाख कर्मचारियों को वेतन को पैसे नहीं....सरदार पटेल की मूर्ति की रखवाली करने वालों को चार महीने से वेतन नहीं....' तथा 'बात वोट की नहीं देशहित से जुड़ी है' में मोदी सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों जैसे रक्षा क्षेत्र नव नवरत्न कंपनियों तथा अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कंपनियों में विनिवेश करके निजी क्षेत्र की कंपनियों व उद्योगतियों को मुनाफ़ा पहुंचाने की नीतियों का पर्दाफ़ाश किया गया है, एचएएल, बीएसएनएल, ओएनजीसी आदि कम्पनियों के कर्मचारियों को आर्थिक संकट के कारण वेतन ही नहीं मिला है तथा गुजरात में सरदार पटेल की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी पर्यटन केन्द्र के लगभग 100 कर्मचारियों को पिछले चार महीने से वेतन नहीं मिला है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा व उनकी छवि बनाने के लिये प्रचार अभियान पर सरकारी खजाने से हज़रों करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं और सरकार खुद दावा कर रही है कि जनवरी 2019 तक इस पर्यटन केन्द्र से सरकार को 20 करोड़ की आय हुई है।

एक सामान्य परिवार से आरएसएस में सामान्य स्वयंसेव के रूप में आए नरेन्द्र मोदी जो लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के अनुयायी थे को गुजरात की क्षत्रपों की लड़ाई के मद्दे नज़र भाजपा ने कमज़ोर नेता समझकर नाइटवाचमैन के रूप में गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद मोदी जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा तथा शक्तिशाली नेता के रूप में उभरकर भारत के प्रधानमंत्री बन गये, जिसकी 'इतिहास पुरुष बन चुके हैं नरेन्द्र मोदी!' में समीक्षा की गई है। अब वे आरएसएस-भाजपा का अस्तित्व और पहचान बन चुके हैं। ज्ञात रहे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद कांग्रेस की सिंडिकेट ने भी इस तरह कांग्रेस पर अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिये एक कमज़ोर व कठपुतली नेता समझकर 'गूंगी गुड़िया' इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था जिसका कद बाद में कांग्रेस से बहुत विराट हो गया था और कांग्रेस का अस्तित्व और पहचान इंदिरा गांधी बन गई थी।

स्मरण रहे कि ओएनजीसी भारत सरकार के लिये लगातार मुनाफ़ा देने वाला एक उपक्रम था और मोदी सरकार ने इसमें निजी निवेश को मंजूरी दे दी, जिसमें मोदी जी के मित्र उद्योगपति मुकेश अंबानी ने निवेश किया। इसके अतिरिक्त सबसे बड़े ग्राहक भारतीय रेलवे को डीजल सप्लाई, करने का काम ओएनजीसी से छीनकर मोदी सरकार ने मुकेश अम्बानी की कमपनी 'रिलायंस पेट्रोलियम को दे दिया। मोदी सरकार के इन निर्णयों ने ओएनजीसी को गंभीर दयनीय हालत में ला दिया है जिससे इस सरकारी महत्वपूर्ण कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इसके अतिरिक्त 4 जी स्पेक्ट्रम बीएसएनएल को नहीं दिया गया है, जिसके कारण अब बीएसएनएल की ब्राडबैंड और मोबाइल इंटरनेट सेवायें रिलायंस से उधार लेकर चलेंगी।

मोदी सरकार की उक्त नीतियों के परिणामस्वरूप देश की सरकारी कंपनियां व सार्वजनिक उपक्रम बंद होने के कगार पर आ जायेंगे तथा जनता को मुकेश अम्बानी, अडाणी और वेदांता जैसी कंपनियों के रहमोकरम पर रहना होगा।

2014 के लोकसभा चुनाव में नरेन्द्र मोदी जनता को लुभाने के लिये 'अच्छे दिन आ रहे हैं' नारे के साथ-साथ अनेक वादे किए थे जिनका -मोदी के 20 वादे:कितने पूरे, कितने अधूरे' में सटीक विश्लेषण किया गया है। उन वादों में प्रमुख थे: 100 दिनों के अंदर विदेशों से काला धन वापिस लाकर प्रत्येक के बैंक खाते में 15 लाख रुपये जमा कराना, प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजग़ारों को रोजग़ार उपलब्ध कराना, भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना, आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना, ठेके पर काम कर रहे लाखों संविदाकर्मियों को स्थाई करना, किसानों की आय दो गुणा करना, निर्भया जैसे कांड नहीं होने देना व महिलाओं की सुरक्षा की पूरी गारंटी देने आदि। पिछले लगभग पांच सालों में मोदी जी के लगभग सभी वादे महज जुमले निकले और अब 2019 के चुनाव के मद्देनज़र मोदी जी ने अपना गोल पोस्ट बदलकर आखिरी हथकंडे के रूप में अन्ध राष्ट्रवाद और पाकिस्तान की रट शुरू कर दी है, जिसका 'चुनाव का दंगल सज गया, शिकारी है तैयार, मजलूम जनता शिकार होने को मजबूर' में विवेचन किया गया है।

भाजपा के चाक-चौबंद व चुस्त-दुरूस्त संगठन तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के स्वयंसेवकों की फ़ौज का चुनाव की घोषणा होते ही फ़रीदाबाद लोक सभा क्षेत्र में चुनावी काम में जुट जाना और बिखरे विपक्ष विशेषकर कांग्रेस के लच्चर संगठन तथा कांग्रेसी उम्मीदवार के लिये खींच-तान का 'भाजपा की चुनावी गाड़ी टॉप गियर में, कांग्रेस अभी भी घुर्र-घुर्र में' सही मूल्यांकन किया गया है। इस मामले में भाजपा केवल फ़रीदाबाद में ही बल्कि पूरे देश में विपक्षी दलों के मुकाबले कहीं आगे बढ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह देश के 20 राज्यों में क्रमश: 100 व 130 लोक सभा सीटों पर जनसभायें व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर अपनी राय और मुद्दों को उनके बीच रख चुके हैं।

राजनीति और कारोबारी धन के घाल-मेल से रातों-रात चैनल खड़े किए जा रहे हैं। देश में 24 घन्टे प्रसारण की अनुमति प्राप्त हिन्दी और गैर-हिन्दी भाषी लगभग 90 से ज़्यादा चैनल्स हैं जो आज से तीन साल पहले 39 अलग-अलग मीडिया ग्रुप द्वारा संचालित किए जाते थे। परंतु इन तीन सालों में प्रधानमंत्री मोदी के चहेते उद्योगपति मुकेश अम्बानी के नेटवर्क नामक मीडिया ग्रुप ने इन 39 में से 18 ग्रुप्स को खरीदकर अधिग्रहण कर लिया। परिणामस्वरूप, बहुत से चैनलों में ऐसे राजनीतिक संपादक और एंकर आ गए हैं जो पूरी बेशर्मी के साथ मोदी सरकार की वकालत कर रहे हैं ओर उन्हें सरकार की नीतियों में कोई कमी नज़र नहीं आती। वे प्रधानमंत्री के बयानों व नीतियों की प्रशंसा करने की जल्दी में रहते हैं। संतुलजन के नाम पर विपक्ष को प्रोपेगैंडा के मंच पर बैठाया जाता है जहां सवाल, तेवर और तर्क भाजपा के होते हैं और डिबेट करने के लिये चैनलों के पास सरकार से पूछने को अपने कोई सवाल नहीं होते तथा चैनलों के एंकर और भाजपा प्रवक्ता में कोई अंतर नहीं होता, जिसकी '72 दिनों के लिये गोदी मीडिया के डिबेट का बहिष्कार करे और उससे लड़कर दिखाए विपक्ष' में बेबाक चर्चा की गई है। लोकतंत्र और जनता की भलाई इसी में है कि विपक्ष मीडिया की डिबेट का बहिष्कार करे और उसके प्रोपेगैंडा को मान्यता न दे।

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आरएसएस से सम्बन्धित व्यक्ति एनआईए के डायरेक्टर योगेश चन्द्र मोदी को सीबीआई का डायरेक्टर बनाने के मन्सूबे को सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस गोगोई ने वरीयता के पैमाने को कड़ाई से लागू करने के आधार पर नाकाम करके मध्यप्रदेश कैडर के ऋषि कुमार शुक्ला को डायरेक्टर बना दिया। 'मुख्य न्यायधीश गोगोई: सीबीआई डायरेक्टर शुक्ला को कानून ने लगाया है' में मोदी जी द्वारा योगेश मोदी को सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्त करने के असफ़ल प्रयास का कच्चा चिट्ठा खोला गया है।

'पानसरे हत्याकांड की धीमी जांच से कोर्ट नाराज, कहा महाराष्ट्र सरकार बन गई है हंसी की पात्र' में महाराष्ट्र सरकार द्वारा तर्कवादी गोविंद पानसरे हत्याकांड की जांच गंभीरता से न करने पर तल्ख टिप्पणी करते हुए महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फ़टकार लगाई। इससे साबित होता है कि भाजपा सरकारों की जांच एजेंसियां प्रख्यात तर्कवादी, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ताओं व पत्रकारों की हत्या की जांच के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, बस दिखावा कर रही है।

मोदी सरकार व भाजपा प्रशासन द्वारा सड़कों के नाम बदलने पर 'मोदी सरकार ने 25 सड़कों के नाम बदले। साहब, मेरा भी नाम बदल दीजिए सब मुझे गधा कहते हैं। भक्त' तथा 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी द्वारा किये गये वादों के बारे में पूछने पर 'काला धन आया?-पाकिस्तान स्मार्ट सिटी बना-पाकिस्तान, 12 करोड़ रोज़गार? पाकिस्तान-झूठ बोलने का कौनो लिमिट है कि नहीं-पाकिस्तान' कार्टूनों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर उपयुक्त तंज कसा गया है।